

उत्तर प्रदेश शासन
आवारा एवं शहरी नियोजन अनुग्रह-३
संख्या-२२८१/८-३-१४-१९४ पिंडित/१४
लखनऊ : दिनांक : ११ दिसम्बर २०१४

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम १९७३ (उत्तर प्रदेश अधिनियम नंख्या ११ सन् १९७३) की पारा ३८-क की उम्मीदारा (१) के साथ पठित धारा-५५ के अधीन शामिल का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्-

उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (गृ-उपयोग परिपत्तन शुल्क का नियांरण उद्घाटन एवं संग्रहण) नियमावली, २०१४

रक्षित नाम, प्रारम्भ
और विश्वार

1-(१) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (गृ-उपयोग परिपत्तन शुल्क का नियांरण, उद्घाटन एवं संग्रहण) नियमावली, २०१४ कही जाएगी।

(२) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रकाशित होगी।

(३) यह समस्त विलास क्षेत्रों पर लागू होगी।

2-(१) इन तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, १९७३ से है,

(ख) "आतेदक" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-१३ के अधीन गृ-उपयोग परिपत्तन के लिए आतेदन करने वाले किसी व्यक्ति से है,

(ग) "सर्विल रेट" का तात्पर्य भारतीय स्टाट्यु अधिनियम १९९९ के अधीन समन्वित क्षेत्र में भूमि के सवादहार पर स्तराम शुल्क का नियांरण हेतु जिला नजिल्लौट द्वारा अपेक्षित रेट से है,

(घ) "टेलिरकोपिक आधार" का तात्पर्य नियम ४ के अधीन दिये गये दृष्टांत के अनुसार की गयी गणना से है।

(२) इस नियमावली में अगरिमावित किन्तु अधिनियम में परिवर्तन शब्दों और पदों के बही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रूराशः समझुदेशित हैं।

गृ-उपयोग परिपत्तन

3- यदि किसी विकास क्षेत्र में किसी भूमि तिशेष का

शुल्क का पद्धति
(पारा-39क
उप-पारा-1)

पद्धति
की

भू-उपयोग परिवर्तन अधिनियम की भारा 13 के अधीन महाराजना अथवा नरिकेत्रीय विकास योजना में संशोधन के फलस्वरूप किया जाता है, तो प्राधिकारण संबंधित शृंखलामी रो भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, विहेत प्रक्रिया के अनुसार और नियम-4 में उल्लिखित ऐसे पर उद्गृहीत करने का हलदार होगा।

परन्तु यह कि भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निम्न परिस्थितियों में उद्गृहीत नहीं किया जायेगा:-

- (एक) जहाँ किसी भूमि विशेष का भू-उपयोग परिवर्तन महाराजना अथवा परिकेन्द्रीय विकास योजना के प्रयुक्त होने के फलस्वरूप हुआ हो,
- (दो) जहाँ भूमि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा वित्ती स्थानीय निकाय की हो।
- (तीन) जहाँ पर पूर्ण या आंशिक रूप से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान को अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा सूट प्रदान की जाती है, तो भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क उद्गृहीत नहीं होगा।

भू-उपयोग परिवर्तन 4-(1)
शुल्क का निर्धारण एवं
उसकी दर (पारा-39क
की उपधारा-1)

भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण एवं सदृश्य गुणपट के सम्बूँध क्षेत्रफल को उस भूमि विशेष के संरक्षित रेट रो गुणा करके तथा इसके साथ सतत अनुसूची-“क” में नीचे उल्लिखित गुणावा के आधार पर किया जायेगा:-

भूमि खण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टेएक्टर)	गुणावा
0.25 तक	1.0
0.25 से अधिक और 1.0 तक	0.9
1.0 से अधिक और 5.0 तक	0.8
5.0 से अधिक और 10.0 तक	0.7
10.0 से अधिक	0.6

नोट :

(एक) भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना टेलिकॉमिक आधार पर लो जायेगी अर्थात् 15.0 हेक्टेएक्टर के भूखण्ड के लिए भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना निम्नवत् की जायेगी:-

$$((0.25 \times 1) + (1-0.25) \times 0.9 + (5-1) \times 0.8 + (10-5) \times 0.7 + (15-10) \times 0.6) \times \text{संरक्षित रेट} \times \text{लागू प्रतिशत}, \text{जैसा}$$

अनुसूची 'क' में दिया गया है।

- (प्र०) भूमि के होत्रकल के आधार पर सर्विंज रेट में
कोई छूट अनुमत्य नहीं होगी।

(2) प्राधिकरण द्वारा गू-उपयोग परिवर्तन खुल्क लो गणना,
प्राधिकरण थोर्ड के अन्तिम विनिश्चय के दिनांक को
लागू विद्यमान भू-उपयोग हेतु प्रदृत्त सर्विंज रेट को
ध्यान में रखते हुए ली जायेगी।

संस्कृतीकाशण :

यदि किसी द्वेष विशेष में एक से अधिक राकिंल रेट लागू हैं, तब भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क को गणना विद्यमान भू-उपयोग के आधार पर किया जायेगा। उदाहरण रूप से, यदि किसी द्वेष में कृषि एवं आवासीय गूमि का अलग-अलग सर्किल रेट है और विद्यमान भू-उपयोग कृषि है, तब कृषि गूमि का सर्किल रेट लागू होगा। सामान रूप से यहि विद्यमान भू-उपयोग आवासीय है तो आवासीय सर्किल रेट लागू होगा। यदि यहुँ पर केवल एक सर्किल रेट है, तो वही रेट लागू होगा।

- (3) यदि निम्नलिखित मू-उपयोग हेतु सार्केल रेट उपलब्ध नहीं है, तो उसकी गणना नीचे दिये गये सूत्र के माध्यम से किया जायेगा—

भू-उपयोग	सूत्र
(क) राष्ट्रजनिक एवं अद्वेसार्पजनिक सुविधाये	$0.75xA + 0.25xR$
(ख) यातायात एवं गरिवहन	$0.50xA + 0.50xR$
(ग) औद्योगिक	$0.25xA + 0.75xR$
(घ) कागजलय	$0.50xR + 0.50xC$
(ङ) मिश्रित उपयोग	$0.25xR + 0.75xC$

四百一

A = कठिन भवि का सर्वोत्तम रेट है

R = अवासीय भूमि का वर्किल

C = व्यापकाधिक समिक्षा का संकेत है

आयैदल प्राप्तिकरण के उपाध्यक्ष के सामान इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयैदन प्रस्तुत करते हैं।

(क) नूनि वा दिवरण (जीसा भी हो)

(एक) अधिकसित क्षेत्र की स्थिति में राजस्व दृष्टि
तहसील, जिले का नाम, गांव रखारा, गाँठाबाई
क्षेत्रफल और 1:1000 स्केल पर सजारा दें।

(दो) लिंगित / पिक्चरित धोके की स्थिति में, फाट
रखाया, क्षेत्रफल, हेक्टेयर में और स्थानीय सेत्र
का नाम तथा 1:1000 स्केल पर स्थान नक्शा।

(इ) स्तंभित / पिक्चर विलेख की प्रमाणित दृष्टि।

(ट) चण्डीस्थित भूपृष्ठ नक्शेजन / परिक्षेत्रों का विवास

(प) परिवर्तन के लिए भूस्तावित भू-दर्पण।

(ब) आवेदन भूमि का भुल्का ₹ 3,000/- परि इकायर द्वा
उसके भाग के लिए भूल्का ₹ 10,000/- के
अंदर रहते हुए।

(2) आवेदन धन की संभिका के पहचान, यदि प्राप्तिकरण की
राय में नाशीद्ध अविभिन्न की धारा-13 की
उपचारा-(1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का हो तो 'निर्माणस्थित'
प्रक्रिया का अनुभालन किया जायेगा।

(क) प्राधिकरण आवेदन पत्र को अपने बोहे की दृष्टि
में पुष्टिद्युम्ति निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा।

(ख) आवेदन पत्र के अनुमोदन की दशा में, प्राप्तिकरण
अविभिन्न की धारा-13 की उपचारा (3) के
अनुसार सन्दर्भित विकास क्षेत्र में प्रचलित दो
सनाधार धनों में आधिकारी और सुझाव नामित
करते हुए रुद्धन्त प्रक्रिया होते हुए सुझाव नामित
और सुझाव प्रस्तुत करने की भूल्का इकाई
समान के प्रकारित होने के दिनांक में 15 दिनों
की होगी।

(ग) प्राप्त आपत्तियों और सुझावों, आदि होई हो तो
उनकी अनियम प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों में
भीतर राजकार द्वारा गतिस रसिति द्वारा दिवाल
किया जायेगा। समिति की अपील भूल्का अवस्था
को अनियम निर्णय हेतु प्राप्तिकरण के बोर्ड
अगली दृढ़क में प्रस्तुत किया जायेगा।

(द) उप नियम-ग के अनीन अनुभोदन को दर्शा

प्राधिकरण भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की मात्रा करेगा और उसका गुमतान करने के लिए आवेदक को पंद्रह दिनों के भीतर पाया जाना चाही रहेगा।

- (3) अधिनियम की धारा 13 की उपलब्धा-(1) के अधीन पिनाईट संशोधन से बिन्न राशीदान के लिए निम्नलिखित प्रतियोग अनुपालन किया जाएगा—
 - (क) प्राधिकरण आवेदन पत्र को युवित्रयुक्त निर्णय दे लिए जाने वाले की बैठक में प्रस्तुत करेगा।
 - (ख) अनुनोदन की दशा में, प्राधिकरण प्रस्ताव को आगी संस्तुति के साथ बोर्ड के निर्णय दे दिनांक से 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अंशोषित करेगा।
 - (ग) राज्य सरकार की राहनति को प्राचार प्राधिकरण शाखिभिटन की धारा-3 की उपलब्धा (3) के अनुसार राष्ट्रधित विकास बोर्ड ने प्रदलित वा समावर पत्रों में आपत्तियाँ और सुझाव आपत्ति करते हुए सूचना प्रकाशित करेगा। आपत्तियाँ और सुझाव प्रस्तुत ऊरने की लाजना अदृष्ट सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिनों की होंगी।
 - (घ) आपत्तियाँ और सुझाओं यदि कोई हैं तो सत्रकी अन्तिम प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा गठित सभिति द्वारा विचार किया जाएगा। सभिति की आत्मा और संस्तुति को अन्तिम निर्णय हेतु प्राधिकरण के बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (ज) प्राधिकरण ऊरनी संस्तुति को बोर्ड के निर्णय दे दिनांक से 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अंशोषित करेगा।
 - (क्ष) राज्य सरकार अपने निर्णय के द्वारा प्राधिकरण को रुक्खित करेगा और इन्द्रनाल प्राधिकरण आवेदक को रुक्खित करेगा।
 - (इ) उपर धारा (ज) के उद्धान अनुमोदन की दशा में प्राधिकरण भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की घनराशि की गणना करेगा और उसका गुमतान

करने के लिए आवेदक वो पन्द्रह दिनों के भीतर मांग नोटिस जारी करेगा।

मू-उपयोग
शुल्क का
(धारा-39क
उपधारा-1)

परिवर्तन
भुगतान
की

- 6-(1) आवेदक नाम नोटिस जारी होने के दिनाकर से तीन महीने के भीतर मू-उपयोग परिवर्तन की सम्पूर्ण रकम देने का दायी होगा।

परन्तु यह कि प्राधिकरण का उपाध्यक्ष मू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान की अनुज्ञा चार वैमासिक क्रिश्टों में 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से राजसारण व्याज के राशि दे रखता है, जो इस शर्त के अधीन होगी कि आवेदक वो एक वर्ष के भीतर पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी।

परन्तु यह और कि प्राधिकरण आवेदक द्वारा जाएदन किए जाने पर ऐसे भुगतान के लिए एक और दर्द दे सकता है।

- (2) यदि आवेदक यथारित के नियत अद्यते या बड़ाठी गई अवधि के भीतर मू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की समूल धनराशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो ही गयी अनुज्ञा व्यपत्त रहनी जाएगी।

मू-उपयोग परिवर्तन का
प्रदर्शन (धारा-13 की
उपधारा-4)

- 7- (1) अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के संशोधन के लिए प्राधिकरण आवेदक हारा मू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने के पश्चात् अधिनियम गी धारा-13 की उपधारा-(4) के अनुसार उक्त संशोधन को सम्बन्धित विकास बैब्र में प्रचलित दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा और आवेदक को भी खूबियत करेगा। प्राधिकरण राज्य सरकार को ऐसे संशोधन के प्रत्युत्ता होने के दिनाकर से 30 दिनों के भीतर उक्त संशोधन के गृहण नियम की आख्या राज्य सरकार को देगा।

- (2) अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(3) के अधीन विनिर्दिष्ट संशोधन से भिन्न संशोधनों के लिए प्राधिकरण मू-उपयोग परिवर्तन शुल्क भी सम्पूर्ण धनराशि आवेदक हारा जमा किए जाने के पश्चात् उसकी मूल्यना राज्य सरकार को प्रदान करेगा। ऐसी सूचना की प्राप्ति पर राज्य

— 71 —

राजकार अधिनियम की धारा-१३ की
उपधारा-(4) के अधीन अतिम अधिकार सुनाया जाए
करेगा।

अपराधापना विकास निधि
(धारा-३६क
उपधारा-(1))

भू-उपयोग परिवर्तन
शुल्क का वार्षिक
विवरण (धारा-३६क की
उपधारा-(*))

- 8- भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में एकत्र की गयी
सम्पूर्ण धनराशि एक नृथक बैंक खाते में जमा की
जायेगी, जिसे 'अपराधापना विकास निधि' के रूप में
जाना जायेगा।
- 9- प्राधिकरण का उपायक सूचिती वर्ष हेतु भू-उपयोग
परिवर्तन शुल्क के सदृश में एक विवरण प्राधिकरण बोर्ड
को उपलब्ध करायेगा, जिसमें प्राधिकरण द्वारा
भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में एकत्र की गयी
कुल धनराशि यी सूचना इट उसके उपयोग से सम्बंधित
ब्यार होगी। यथारामद, यह विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष
में प्राधिकरण बोर्ड की होने वाली प्रथम बैठक ने प्रस्तुत
किया जायेगा और इसकी प्रति राज्य सरकार को भी
मेली जायेगी।

2- प्रदेश में शाहरी नियोजन के कार्य हेतु 27 विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त 05 विवाद
क्षेत्र विकास प्राधिकरण, त.प्र. आवास एवं विकास परिषद (जो वर्तमान में 54 नगरों में कार्यरत
है) तथा 74 विनियमित क्षेत्र भी सौचित्र/नियित हैं अतः प्रस्तुत नियमावली (अद्यतीत सरकार
सहित) को उक्त अभिकरणों द्वारा अपने-अपने अधिनियमों के अधीन विनियित प्रक्रियानुसार
अंगीकृत किया जायेगा।

3- भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के रांबध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित
निम्न शासनादेश अद्यक्षित समझे जायेगे:-

- (i) शासनादेश रां-3712/९-८ ३-२०००-२०१८ यू.सी./९१, दिनांक 21.8.2001
- (ii) शासनादेश रां-473/९-३ ३-२०१८ यू.सी./९१, दिनांक 04.02.2002
- (iii) शासनादेश सं-3351/९-३-३-२००४-१२ वि./२००५, दिनांक 23.08.2004
- (iv) शासनादेश रां-4988/८-३-२००८-०५ महा./२००८, दिनांक 18.10.2008
- (v) शासनादेश सं-204/८-३-०९-२० एल.यू.सी./९१, दिनांक 21.01.2010
- (vi) शासनादेश रां-1735/८-१-२०१०-३० विविध/१०, दिनांक 23.04.2010

संलग्नक नियम-५ में उल्लिखित अनुरूपी 'क'
नियम-६(1) में उल्लिखित आवेदन पत्र।

सदा कान्त
प्रभुत्व राधिक

संख्या : (1) / 8-3-14-194 विविध / 14 तदृदिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजनीय मुद्रण एवं लेखन रामगढ़ी, ऐश्वर्या, लखनऊ के
इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट गे दिनांक दिसंबर
2014 के विधायी परिषिक्षा भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराये तथा गजट ती गोटी
01-01 प्रतियाँ सम्बंधित अधिकारियों एवं शासन को 10 प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाए।

आज्ञा रे

शिव जनम चौकरी

सदुवा राय

संख्या : २२४ (2) / 8-3-14-194 विविध / 14 तदृदिनांक

प्रतिलिपि गिम्नलिङ्कित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्रमुख समिति/संघिय, १०५० शासन।
3. आयुक्त एवं संघिय, राजनीय परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महा निरीक्षक, निष्पन्धन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त गणलालगुरा, उत्तर प्रदेश।
6. आवास आयुक्त, १०५० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. समस्त डिलाइजिटरी, उत्तर प्रदेश।
8. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
9. अध्यक्ष, समस्त विरोध क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
10. डिग्ग इण्डियारी, समस्त विनियोगिता क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, आदाल बन्धु, १०५०, लखनऊ को विभागीय बैबस्ताहां पर ५५८०० करने
तथा प्रचार-प्रसार हेतु।
12. गृह्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
13. गाड़े काईल।

आज्ञा से

(शिव जनम चौकरी)

सदुवा राय

अनुसूची 'क'
(नियम-4 देखें)

क्र. सं.	विधान मू-उपयोग	मू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, सर्किल रेट के प्रतिशत के रूप में प्रत्यालिता मू-उपयोग					
		सार्वजनिक एवं अद्वार्जनिक सुधार, सेवाएं तथा उपयोगिताएं जिसके अन्तर्गत यातायात एवं परिवहन भी हैं।	औद्योगिक	आवासीय	कार्यालय	भिक्षत	ध्यावसायिक
1	2	3	4	5	6	7	
1.	कृषि पालं, खुले स्थान एवं ड्रीग बैल्ट	20%	35%	50%	100%	125%	150%
2.	सार्वजनिक एवं अद्वार्जनिक सुधार, सेवाएं तथा उपयोगिताएं जिसके अन्तर्गत यातायात एवं परिवहन	कुछ नहीं	20%	40%	75%	100%	125%
3.	औद्योगिक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	25%	75%	90%	110%
4.	आवासीय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	50%	75%	100%
5.	आयोड्या	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	30%	50%
6.	भिक्षत	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	25%
7.	ध्यावसायिक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन
नियम-५(१)

रोका मे.

उपायक्रम,

दिकास प्राधिकरण,

दिव्य: भू-उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन।

मैं/हम अधीक्षिताधारकर्ता एतद्वारा,

(प्रदूता महायोजना/

परिषेकीय विकास योजना में भू-उपयोग) से भूलगड/गाठा के भू-उपयोग परिवर्तन) के रूप में उपयोग परिवर्तन को लिए आवेदन दारला हूँ/करते हैं। जिसके साथ देखे गये दिवरण निम्नान्त हैं:-

(क) राजस्ता धाम/तहसील और जिले का नाम.....

(ख) भूमि का विवरण -

क्र.सं	गाठा संख्या	लेट्रफल (हिन्दूरा)
1		
2		
3		
4		
5		
कुल लेट्रफल		

(न) 14000 रुपये पर सजरा मैं प. जिसमें भू-उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित गाठा संख्या प्रदृष्टि हो या 11000 रुपये पर रथल नवशा जिसमें भू-उपयोग परिवर्तन को लिए प्रस्तावित भूमि प्रदृष्टि हो, जो भी लागू हो (सजरा मैं प/स्थल नवशा की प्रति संलग्न करें)

(प) मूल नवशा, जिसमें प्रदृत्त महायोजना/परिषेकीय विकास योजना को अनुसार प्रस्तावित रथल की अवस्थिति और विवरण भू-उपयोग प्राप्तिशील हो (प्रति संलग्न करें)

(ट) डिमांड ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक (प्रक्र का नाम) पर रुपये (रुपये) नाम) आवेदन भूमि के सद में आहोरत।

(उन्हे 1000/- हेक्टेयर या उसके भाग के लिए न्यूनतम राहदे 1000/- के अधीन रहते हुए)

(घ) डिमांड दिलेश्वर की छायाप्रति (तंलग्न करें)।

(ङ) कोई अन्य विवरण जिसे आवेदक प्रस्तुत करना चाहता हो।

2. मैं/हम एतद्वारा लागू नियमों के अनुसार प्राधिकरण को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ/करते हैं।

संलग्नक-

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

हस्ताक्षर एवं दिनांक

(सदा कान्त)

प्रमुख रायेव